BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | July 2019 | No. 07

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर द्वारा आयकर विभाग में नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के स्वागत हेतु बैठक आयोजित

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। बाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। दाँयीं ओर आयकर आयुक्त (प्रशासन) श्री आर. बी. मिश्रा एवं प्रधान आयुक्त आयकर श्री के. के. श्रीवास्तव।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 11 जुलाई 2019 को चैम्बर सभागार में आयकर विभाग में नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा का राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से स्वागत हेतु एक बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर श्री आर. बी. मिश्रा, आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं टीपीएस), श्री के. के. श्रीवास्तव, प्रधान आयकर आयुक्त II, श्री एच. के. लाल, आयकर आयुक्त (एकजेम्पशन) एवं श्री मानस मेहरोत्रा, आयकर आयुक्त (ए) –2 भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्‌बोधन में बताया कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों का बराबर आयकर विभाग से कार्य होने के कारण चैम्बर की यह परम्परा रही है कि जब भी आयकर विभाग के सर्वोच्च पद पर जो भी अधिकारी आते हैं उनके साथ पारस्परिक विचारों का आदान–प्रदान किया जाता है ।

श्री अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल नये करदाताओं की संख्या में करीब 10 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है । गत दो वर्षों में करीब दो हजार करोड़ का टैक्स संग्रह बढ़ा है । उन्होंने आयकर विभाग द्वारा गत दिनों आयोजित ओपन हाउस के आयोजन की सराहना करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से अनुरोध किया कि इस प्रकार का आयोजन राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी किया जाए जिससे कि करदाता उस ओपेन हाउस में खुलकर अपनी बात रख सके और उसका समाधान हो सके । साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन के माध्यम से करदाताओं को जागरूक किया जाए कि टैक्स देने का क्या फायदा है और नहीं देने से क्या नुकसान है ।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि बिहार एवं झारखंड में जो भी बड़ी कंपनियाँ हैं उनका मुख्यालय दूसरे राज्यों में अवस्थित होने के कारण उनका आयकर का भुगतान भी उसी राज्य में होता है । इस प्रकार बिहार के हिस्से में जो आयकर का संग्रह होना चाहिए वह दूसरे राज्यों के हिस्से में चला जाता है ।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ ने ज्ञापन प्रस्तुत किया ।

मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा ने अपने संबोधन में चैम्बर में उन्हें आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका तीन उद्‌देश्य है –

(क) कर छुपानेवालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा ताकि अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो ।

(ख) करदाताओं की कम–से–कम शिकायत रहे ।

(ग) टीडीएस से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देना।

उन्होंने कहा कि आयकर दाता समय पर रिटर्न फाईल करें तभी उन्हें समय पर रिफन्ड मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि बिहार में करीब 10 लाख नए करदाता बने हैं और दो हजार करोड़ का राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि आयकर संबंधी विषयों से अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे कि अधिकाधिक लोग आयकर का भुगतान कर देश की तरक्की में अपना योगदान करें । उन्होंने आगे बताया कि उनका उद्‌देश्य करदाताओं को जान–बूझ कर परेशान करना नहीं है इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपने–अपने करों का भुगतान करें जिससे कि अधिकाधिक कर संग्रह हो

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिनांक 05 जुलाई 2019 को संसद में केन्द्रीय बजट 2019–20 पेश किया गया। बिहार की आम जनता, उद्यमियों, व्यवसायियों को बजट से आशा थी कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास हेतु अपेक्षित विशेष योजना या विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जायेगी क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति एवं खनिजों पर रॉयल्टी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ है साथ ही राज्य को हमेशा बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

बजट में छोटे व्यवसायियों के लिए पेंशन योजना, कॉरपोरेट टैक्स हेतु टर्नओभर की वर्त्तमान सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ किया जाना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, आधारभूत संरचना की वृद्धि हेतु 100 लाख करोड़ का प्रावधान, देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर विशेष ध्यान देना, श्रम कानूनों का सरलीकरण, मकान खरीदने की छूट सीमा में वृद्धि जैसी घोषणाएँ स्वागत योग्य कदम हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में गाँव, गरीब व किसान पर विशेष फोकस किया गया है। पेट्रोल एवं डीजल पर एक प्रतिशत सेस तथा 2 से 5 करोड़ की आय पर 3 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से उपर की आय पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त कर की जो घोषणा बजट में की गयी है उसका प्रतिकूल प्रभाव उद्योग एवं व्यापार पर पड़ेगा।

बजटीय घोषणाओं से छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हालांकी बिहार के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से हमें थोड़ी निराशा अवश्य हुई है परन्तु सम्पूर्ण सामाजिक उत्थान की दृष्टि में बजट सराहनीय हैं । बजट से संबंधित अन्य समाचार भी इस बुलेटीन में उद्धृत हैं।

जीएसटी कार्यान्वयन के दो वर्ष पूर्ण होने पर 1 जुलाई 2019 को सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में "जीएसटी डे" का आयोजन किया गया था। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसटी क्रियान्वयन में बेहतर योगदान हेतु चैम्बर अध्यक्ष को एक अवार्ड एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

11 जुलाई 2019 को आयकर विभाग में नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस.डी. झा के स्वागत हेतु एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक काफी उपयोगी रही।

केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समुहों को बिना गारंटी के 20 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत कर्ज की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये तक करने का विचार हो रहा है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लाभ होगा।

सादर

आपका

पी. के. अग्रवाल

और देश के विकास में उस राशि को खर्च किया जा सके । चैम्बर के ज्ञापन का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें उठाये गये मुद्दों पर सकारात्मक पहल बहुत जल्द ही नजर आएगा ।

इस कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ–साथ विभिन्न संगठनों यथा–बिहार केमिस्टस एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार इनकम टैक्स बार एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं आयकर संबंधी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया ।

कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, वरीय सदस्य श्री पी. के. सिंह, श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री ए. के. पी0 सिन्हा, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री राजेश खेतान, श्री आशिष अग्रवाल, श्री उत्पल सेन, श्री सच्चिदानन्द, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री रंजीत सिंह, श्री अजय रस्तोगी, श्री मसेन्द्र कुमार मासी के साथ–साथ काफी संख्या में उद्यमियों, व्यवसायियों एवं प्रेस बंधुओं ने भाग लिया । धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल ने किया।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा। उनकी बाँयी ओर क्रमशः आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं टीपीएस) श्री आर. बी मिश्रा, प्रधान आयकर अयुक्त–II श्री के. के. श्रीवास्तव, आयकर आयुक्त (एक्जेम्पशन) श्री एच. के. लाल एवं आयकर आयुक्त (ए)–2 श्री मानस मेहरोत्रा। दायीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं टीपीएस) श्री आर. बी. मिश्रा को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

प्रधान आयकर आयुक्त–II श्री के. के. श्रीवास्तव को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

आयकर आयुक्त (एकजेम्पशन) श्री एच. के. लाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

आयकर आयुक्त (ए)–2 श्री मानस मेहरोत्रा को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस.डी. झा एवं दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ.पी. साह एवं अन्य

कार्यक्रम संबोधित करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस.डी. झा। उनकी बाँयी ओर आयकर के आयुक्तगण एवं चैम्बर के सदस्यगण।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा को चैम्बर का मेमेन्टो भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। दाँयीं ओर आयकर आयुक्त (प्रशासन) श्री आर. बी. मिश्रा एवं प्रधान आयुक्त आयकर श्री के. के. श्रीवास्तव। बाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री एस. डी. झा को चैम्बर का कॉफी टेबल बुक भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। मध्य में श्री जी. के. खेतड़ीवाल एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आयोजित जीएसटी डे समारोह में चैम्बर अध्यक्ष हुए सम्मानित

जीएसटी कार्यान्वयन के दो वर्ष पूरे होने पर दिनांक 1 जुलाई 2019 को सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में जीएसटी डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी उपस्थित थे।

प्रमाण–पत्र अवार्ड कार्यक्रम में सेन्ट्रल जीएसटी कमिश्नर श्री रंजीत कुमार, भा.रा.से. ने जीएसटी में बेहतर योगदान करने हेतु चैम्बर अध्यक्ष को एक अवार्ड एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया।

चैम्बर अध्यक्ष को प्रदान किया गया मेमेन्टो

चैम्बर अध्यक्ष को प्रदान किया गया प्रमाण पत्र

MEMORANDUM SUBMITTED TO SHRI S.D. JHA, PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX ON 11th JULY 2019

It is of great pleasure to welcome you all amidst us this evening. We feel privileged by your kind visit to the Chamber. The Chamber is the apex body of industry and trade and your visit to the Chamber would add to its credit. The Interaction held with our members with the high officials of the Income Tax Department has always produced very good results. The Income Tax Department has always considered our suggestions very sympathetically and so we do not have much to request. However, we would like to submit a few suggestions that would merit your kind considerations:-

1. RECTIFICATION PETITIONS U/S 154 OF INCOME TAX ACT 1961PENDING SINCE LONG TIME
   Rectification petitions filed by assessee U/S 154 of I.T. Act are required to be disposed off within reasonable time on priority basis which will reduce the demand of taxes as well as assesses will not be required to visit the Income Tax office for follow up of the disposal of the petition i.e. Timely disposal of Sec 154 under Income Tax Act.
2. APPEAL EFFECT :
   After the disposal of appeal, the work of appeal effect is to be attended to within reasonable time to modify the demand/ or issue the refund if any.
   It may be ensured that it is done in a reasonable time without any persuasion by the tax payers. Work of appeal effect should be taken up promptly on the receipt of Appellate Orders to work out revised demand or refund so that e tax payer may pay the remaining demand or immediately get the refund. In case of refund, the same is to be granted along with interest u/s 244A within reasonable time of giving effect to the appellate order.
3. PAID DEMANDS STILL ON DEPARTMENT'S REGISTER
   There are instances where notices u/s 221(1) of the Income Tax Act is received by the tax payers even where the taxes are paid and some time it is also received year after year. Therefore a system should be evolved to stop such repetitions.
4. SUBMISSION OF REMAND REPORT WITHIN REASONABLE TIME
   Remand Report by the Assessing Officer to the Appellate Authorities may be sent within a reasonable time allowed by the CIT(A),so that any delay in disposal of appeals may be avoided and collection of taxes can be expedited.
5. In case of Society or Trust, if the 4th letter of PAN is " A " then basic exemption of Income i.e.2,50,000/- is given whereas 30% tax is imposed in case of 4th letter of PAN is " T " even in respect of Charitable or Other Society
6. In case of ITR 7, if Form 10B is filed after filing of Return then all expenditure is disallowed and Tax @ 30% (MMR) is imposed without considering any expenditure i.e. on Gross Receipts. Further even in case of Educational Trust in A/Y 2016-17,claim of 10 (23C) (iiiad) not considered and processed with Tax @ 30%on Gross Receipts.
7. Since, So many persons are not computer friendly hence there should be a forum, i.e. Help Desk fully equipped for redressal of their grievances.
8. Response to assessee's objection on reasons recorded by a speaking order before proceeding for assessment as mandated by the judgment of Apex Court in the case of GKN Driveshaft (259 ITR 19).
9. Grant of Certified copy of the order sheet and the assessment/appeal records on payment of requisite certifying copy fee should be given within 15 days of the petition.
10. Grievances of the taxpayer either relating to refund and/or disposal of 154 and/or to give effect to the appellate order should be disposed off within reasonable time.
11. Committee for monitoring high pitched assessment as desired by the CBDT should be constituted.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक से मिले चैम्बर अध्यक्ष

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल दिनांक 02 जुलाई 2019 को भारतीय स्टेट बैंक पटना के नव पदस्थापित मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल से मिले। इस भेंटवार्ता के दौरान चैम्बर अध्यक्ष ने बैंकिंग संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया। इस अवसर पर चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी भी उपस्थित थे।

भारतीय स्टेट बैंक के नव पदस्थापित मुख्य महाप्रबंधक श्री महेश दीपचन्द गोयल से भेंट वार्ता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी

केन्द्रीय बजट 2019–20 पर चैम्बर में परिचर्चा

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई 2019 को संसद में पेश किये गये केन्द्रीय बजट 2019–20 का सीधा प्रसारण देखने एवं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने हेतु एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री शशि मोहन, श्री साबल राम झोलिया, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सुनील सराफ, श्री रंजीत प्रसाद सिंह, श्री सच्चिदानन्द, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री एम. पी. जैन एवं श्री अशोक कुमार उपस्थित थे, जिन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

केन्द्रीय बजट 2019–20 का सीधा प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

केन्द्रीय बजट पर चैम्बर की मिश्रित प्रतिक्रिया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 5 जुलाई 2019 को माननीया वित मंत्री द्वारा संसद में पेश आम बजट में छोटे व्यवसायियों के लिए पेंशन योजना, कारपोरेट टैक्स हेतु टर्नओवर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ किया जाना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, आधारभूत संरचना को बढ़ाने हेतु 100 लाख करोड़ का प्रावधान, देश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, श्रम कानूनों का सरलीकरण, मकान खरीदने की छूट सीमा में वृद्धि जैसी घोषणा को स्वागतयोग्य कदम बताया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में गाँव, गरीब एवं किसान पर विशेष फोकस किया गया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देश के विकास पर पड़ेगा ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार की आम जनता के साथ–साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास हेतु अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति एवं खनिजों पर रॉयलटी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ हैं साथ ही राज्य को हमेशा बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है ।

श्री अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर की ओर से माननीय वित्त मंत्री को भेजे गये बजट पूर्व ज्ञापन में मांग की गई थी कि पूर्व में आयकर कानून की धारा 80 IB (5) के अन्तर्गत बिहार के 26 जिलों के उद्योगों को 3 से 5 वर्ष के लिए टैक्स की छूट दी गयी थी जिसे 01–04–2004 से वापस ले लिया गया है, उसे पुनः लागू किया जाये, उत्तर बिहार में तीव्र औद्योगीकरण के लिए गैस पाईप लाईन से जोड़ा जाए, विनिर्माण क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 5 सालों के लिए करावकास दिया जाये, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निवेश में रियायत की जो दर है उसे आकर्षक बनाया जाये जिससे इस राज्य के ग्रामीण युवाओं का बड़े शहरों में पलायन रूक सके, शिक्षा क्षेत्र की प्रगति के लिए 10 वर्षों के लिए पूर्ण करावकास हो, पूंजी निवेश सब्सिडी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर की देयता में कटौती के रूप में दिया जाये, यहाँ पूर्ण पूंजी निवेश मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रशिक्षकों को विशेष आयकर छूट दी जाये, IIT के तरह ही राज्य में IIM की स्थापना हो, AIIMS पटना में सुविधाएँ बढ़ाई जाये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पंचायत स्तर पर स्थापना की जाये, जिला स्तर पर AIIMS की तरह छोटे संस्थानों की स्थापना हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों के डाक्टरों/नर्सिंग स्टाफ को विशेष कर छूट दी जाये।

उन्होंने बताया कि बजट पूर्व ज्ञापन में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मांग की गई थी कि राज्य में पाँच सितारा होटल की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कम से कम पाँच साल के लिए करावकास दिया जाए, पटना एयरपोर्ट के आधारभूत संरचना को बेहतर बनाया जाए, बिहटा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के कार्यो में तेजी लायी जाए, गया एयरपोर्ट को कॉमर्शियल परिचालन हेतु खोला जाए, राज्य के प्रमुख शहरों यथा – मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर, दरभंगा आदि से हवाई यात्रा का प्रारम्भ किया जाए । उन्होंने आगे बताया कि अभी भी राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे व्यवसायी हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, वैसे व्यवसायियों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान किया जाए, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सरकार की ओर से जीएसटी मित्र बनाया जाए, जीएसटी में निबंधित व्यवसायियों को सरकार की ओर से निःशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाए एवं समय पर जीएसटी के अनुपालन करनेवाले व्यवसायियों को प्रोत्साहन स्वरूप उनके खाते में कैशबैक की सुविधा प्रदान की जाए ।

उन्होंने आगे बताया कि पेट्रोल एवं डीजल पर 1% सेस एवं 2 से 5 करोड़ की आय पर 3% तथा 5 करोड़ से उपर की आय पर 7% पर अतिरिक्त कर का प्रतिकूल प्रभाव उद्योग एवं व्यवसाय पर पड़ेगा। 1 करोड़ से उपर के नकद निकासी पर 2% टीडीएस का प्रतिकूल प्रभाव कृषि से संबंधित उद्योगों पर पड़ेगा क्योंकि व्यवसायी किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बड़ी मात्रा में खरीद करते हैं जिसका उन्हें नकद भुगतान करना पड़ता है । आशा थी कि आयकर के स्लैब में बदलाव कर राहत दिया जाएगा परन्तु कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा मध्यम वर्ग को भी कोई राहत नहीं दिया गया है ।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बजटीय घोषणाओं से छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हलांकी बिहार राज्य के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से हमें थोड़ी निराशा जरूर हुई है परन्तु सम्पूर्ण सामाजिक उत्थान के हिसाब से इस बजट को सराहनीय कहा जा सकता है।

बजट और बिहार कारोबारियों ने कहा- बजट से उद्यम व उद्यमियों को मजबूती मिलेगी

चैम्बर बोला - विशेष दर्जा मिलता तो बेहतर होता

केंद्रीय आम बजट 2019 को लेकर दिनांक 05–07–2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में प्रभात खबर की ओर से बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित इस परिचर्चा को लेकर सुबह 11:00 बजे से पहले ही चैम्बर के सदस्य पहुंच गए थे । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर कारोबारियों और उद्यमियों में काफी उत्साह देखने को मिला। लगभग 3 घंटे तक चैम्बर के सदस्य बजट का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते रहे। बीच–बीच में बजट में नए प्रावधान को लेकर आपस में प्रतिक्रिया देते रहे, कभी हंस पड़ते तो कभी खामोश हो बजट में खो जाते। चैम्बर के सदस्यों को काफी उम्मीद थी कि इस बार के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज को लेकर कुछ घोषणा करेगी पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चैम्बर ने कहा कि वैसे यह बजट आम लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। उद्यमियों को मजबूती मिलेगी, इसमें गांव–गरीब का ख्याल रखा गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।

बिहार की आम जनता के साथ–साथ राज्य के उद्यमी व व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी। क्योंकि, पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति व खनिजों पर रॉयलटी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ है। वित्त मंत्री की ओर से पेश आम बजट में छोटे व्यवसायियों के लिए पेंशन योजना, कॉरपोरेट टैक्स हेतु टर्नओवर की वर्तमान सीमा को बढ़ा कर 400 करोड़ किया जाना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, आधारभूत संरचना को बढ़ाने को 100 लाख करोड़ का प्रावधान, देश के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग पर विशेष ध्यान देना, श्रम कानूनों का सरलीकरण, मकान खरीदने की छूट सीमा में वृद्धि जैसी घोषणा स्वागतयोग्य कदम हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में गांव, गरीब व किसान पर विशेष फोकस किया गया है। पेट्रोल व डीजल पर एक फीसदी सेस और 2 से 5 करोड़ की आय पर 3 तथा 5 करोड़ से ऊपर के आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त कर का प्रतिकूल प्रभाव उद्योग व व्यवसाय पर पड़ेगा। **–पी. के. अग्रवाल**
अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

बजट में बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद थी, वह इस बार भी पूरी नहीं हुई। चैम्बर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पिछले 10 वर्षों से कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बजट बिहार के लिहाज से निराशाजनक रहा। मध्यमवर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। **–मुकेश जैन**
उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

महिलाओं व किसानों पर ध्यान दिया गया है। जिस तरह वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर (68.6 खरब) की इकोनॉमिक बनने में हमें 55 साल लग गए लेकिन हम इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर (205 खरब) की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो इससे बढ़कर देशहित में क्या हो सकता है। **–अमित मुखर्जी**
महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

यह बजट गांव–गरीब व किसान की स्थिति को बदलने वाला है। किसानों को सफल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बजट में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के मद्देनजर 5 लाख का ओवरड्राफ्ट व एक लाख का लोन की बात कही गई है। बजट आने वाले दिनों में शिक्षा को बेहतर बनाएगा।
–शशि मोहन

पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी। हर माल की ढुलाई ट्रक से होती है, जो डीजल से चलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा नहीं है। उद्यमियों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। **–ओ. पी. टिबड़ेवाल**

केंद्रीय अंतरिम बजट को आगे बढ़ाया गया है जिस तरह से जीएसटी की कमियों का भी उल्लेख किया गया है। अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी तो यह बात देश हित मे है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर बजट से विकास की गति को बल मिलेगा।
–पशुपति नाथ पांडेय

बहुत ही बढ़िया बजट है। बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई दिया गया है। साथ ही मध्यमवर्ग को कर में छूट देकर घर खरीदने के लिए 3.5 लाख रूपया तक ब्याज में छूट की घोषणा बहुत अच्छी है। किसानों को केसीसी पर एक लाख ब्याज कर मुक्त लोन देने का निर्णय लिया गया है जो सराहनीय कदम है।
– रणजीत प्रसाद सिंह

वित्त मंत्री के बजट में व्यापारी वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स का बोझ बढ़ा है, लेकिन यह बजट किसान और गरीबों के लिए बहुत अच्छा बजट है। वित्त मंत्री ने बजट को संतुलित करने का प्रयास किया है ताकि आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। **– सावल राम डोलिया**

पेट्रोल डीजल पर उपकर में एक–एक रूपये प्रति लीटर की वृद्धि करने के बजट प्रावधान से माल भाड़ा बढ़ेगा, जिससे किराना व रोजमर्रा के आम उपयोग की अन्य वस्तुएं महंगी होंगी साथ ही डेबिट कार्ड और पॉस मशीन से पेमेंट सर्विस चार्ज नहीं हटाने की घोषणा निराशाजनक है।**–सुबोध कुमार जैन**

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रूपये खर्च करने की सरकार की योजना से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और नए रोजगार उत्पन्न होंगे। बिजली से चलने वाले वाहनों को बजट में दिया गया सरकारी प्रोत्साहन सराहनीय है और यह कदम समय की मांग है।
– सच्चिदानंद

कारोबार जगत के हिसाब से बजट काफी निराशाजनक है। विशेषकर मध्यम वर्ग के ट्रेडर्स और उद्यमी जो इमानदारी से टैक्स का भुगतान करते हैं, उनके लिए टीडीएस का प्रोविजन किया गया है जो उद्योग जगत को परेशानी में डालने वाले हैं। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। बहुत सी जानकारी अभी आनी बाकी है।
– ए. के. पी. सिंहा

जीएसटी में पंजीकृत सभी छोटी और मझोली इकाइयों के लिए नए अथवा बढ़े हुए कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज छूट के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटन अच्छा कदम है। लेकिन ये इकाइयाँ सरकार से बजट में और रियायतों की उम्मीद कर रही थी। साथ ही प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से करोड़ों छोटे व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। एक शब्द में बजट को संतोषजनक करार दिया जा सकता है। **– सुनील सराफ**

आज के बजट में मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद थी कि छूट का पिटारा खुलेगा परंतु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यह कहना गलत होगा कि बजट निराशाजनक रहा। पहली बार बजट को एक सराहनीय अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जहां सबके लिए कुछ–न–कुछ रोडमैप सरकार ने निर्धारित किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव घोषणाएं किये गये। छोटे डीलर जो कि जीएसटी में निबंधित हैं व टर्नओवर 1.5 करोड़ है। उन्हें पेंशन देने की योजना सराहनीय है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं का खाका खींचा गया है, रेलवे में पीपीपी मोड व एविएशन सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी योजना है, किसानों के लिए जीरो बजट फार्मिंग यदि सफल होती है, तो यह देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पालिसी, रिसर्च को बढ़ावा देना और देश को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जा सकती है। सरकार ने बजट में अपनी कार्ययोजनाओं का एक ऐसा खाका खींचा है, जो यदि सफल रही तो निश्चित रूप से पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। **–राजेश खेतान** सीए

साभार, प्रभात खबर 06-07-2019

आम बजट 2019–20

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार दिनांक 05 जुलाई, 2019 को वित वर्ष 2019–20 का आम बजट लोक सभा में पेश किया । उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3000 अरब डॉलर की हो जायेगी । वित मंत्री ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों – 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'आर्थिक वृद्धि' पर मुहर लगायी है । हमारा उद्देश्य है, 'मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक' । आम बजट में किसको क्या मिला एवं क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ, वो निम्नानुसार हैं :–

किसको क्या मिला

करदाता

- 45 लाख तक का घर खरीदा है तो गृह ऋण पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर कर नहीं। पहले छूट की सीमा दो लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
- देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से आयकर रिटर्न भर सकते हैं।
- नकदी में कारोबारी भुगतान करने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए एक बैंक खाते से साल में एक करोड़ से ज्यादा निकालने पर दो फीसद का टीडीएस लगेगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- जो स्टार्टअप कर घोषणापत्र दाखिल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
- सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर अभी 25 फीसद है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25 फीसद कॉरपोरेट कर के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3 फीसद कंपनियां 25 फीसद कॉरपोरेट कर के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7 फीसद कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
- दो करोड़ से पांच करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर तीन फीसद और पांच करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर सात फीसद किया जाएगा।

गांव, गरीब और किसान

- 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा। इनमें टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
- जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा।
- पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
- 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले पांच साल में गठन किया जाएगा।
- शून्य बजट खेती पर जोर, बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
- खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व–पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।
- ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति (स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐण्ड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) योजना की शुरुआत। इसके तहत अगले 5 साल में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- 2019–20 के दौरान 100 नए बांस, शहद और खादी कलस्टर की स्थापना होगी। ऐसे उद्योगों में कौशल विकास के लिए 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ आईटी विकास के लिए 20 बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यकी ढांचे की स्थापना होगी।
- किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे। सरकार कृषि अवसंरचना में निवेश करेगी।
- किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए निजी उद्यम को बढ़ावा। बांस, लकड़ी और ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 2019–20 से 2021–22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराए जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी।
- 5.6 लाख गांव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। दो अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

उद्योगपति–व्यापारी– कारोबारी

- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
- सभी दुकानदारों को 59 मिनट में कर्ज। तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा।
- हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के उपाय।
- बीमा कंपनियों में 100 फीसद एफडीआई की इजाजत।
- खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा। एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
- शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25 फीसद से बढ़ाकर 35 फीसद करने का प्रस्ताव ।
- स्टार्टअप के लिए टीवी चैनल शुरू होगा।
- स्टार्टअप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

महिलाएं– युवा

- नारी तू नारायणी योजना लांच होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
- जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
- स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव । राष्ट्रीय हित की शोध को प्राथमिकता दी जाएगी।
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियमन प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा, ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सके।
- खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा।

क्या महंगा, क्या सस्ता

बजट से महंगे होने वाले प्रमुख उत्पाद

1. पेट्रोल और डीजल
2. सिगरेट, हुक्का और तंबाकू
3. सोना और चांदी
4. कार (इंपोर्टेड कार)
5. स्प्लिट एसी
6. लाउडस्पीकर
7. डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर
8. आयातित किताबें
9. सीसीटीवी कैमरे
10. काजू गिरी
11. आयातित प्लास्टिक
12. साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल
13. विनाइल फ्लोरिंग
14. ऑप्टिकल फाइबर
15. सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स
16. वाहनों के आयातित कल–पुर्जे
17. न्यूजप्रिंट और अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कागज
18. संगमरमर की पट्टियां

बजट से सस्ते होने वाले उत्पाद

1. बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल–पुर्जे
2. कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर
3. सेटटॉप बॉक्स
4. आयातित रक्षा उपकरण,जिनका निर्माण भारत में हीं किया गया हो।

साभार, जनसत्ता 06-07-2019

जरूरतमंद महिलाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बना रहा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

सीखने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। बस मन में दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। परिवार को चलाने के लिए कई महिलाएं घर में चौका–बर्तन के बाद बचे समय में हुनर का गुर सीखने में लगी हैं। कल तक जो महिलाएं और बेटियां घर की दहलीज से बाहर निकलने की सोचती थीं वो आज आत्मविश्वास से लबरेज हैं। इनके सपने पूरा करने और इन्हें स्वावलंबी बनाने में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी भूमिका निभा रहा है। यहां न केवल महिलाओं को सिलाई, कटाई का प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि ब्यूटीशियन एवं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

पेश है प्रभात रंजन की ये रिपोर्ट...

एक छत के नीचे महिलाओं को मिलता है मुफ्त प्रशिक्षण: अंटा घाट स्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर विभिन्न प्रकार के कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है वह भी बिना शुल्क के। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सिलसिला वर्ष 2014 से नियमित चल रहा है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। केंद्र खुलने के समय महिलाओं को सिर्फ सिलाई–कटाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर इसके बाद अगले साल 2015 में महिलाओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कोर्स को सीखने के लिए महिलाओं और बेटियों की रुचि बढ़ने लगी। वहीं वर्ष 2019 के फरवरी से महिलाओं के लिए ब्यूटीशियन कोर्स आरंभ किया गया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मुकेश जैन ने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से लेकर आजतक तीन हजार लड़कियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया है।

सिलाई-कटाई प्रशिक्षण

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

ब्यूटीशियन प्रशिक्षण

महिलाओं को अलग–अलग कोर्स का विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त दिया जाता है प्रशिक्षण	आर्थिक रूप से कमजोर माहेलाओं को चैम्बर की ओर से मिलता है सिलाई मशीन	तीन हजार से अधिक महिलाओं को चैम्बर ने बनाया स्वावलंबी। लड़कों को भी मिलेगा प्रशिक्षण	वर्ष 2014 से नियमित दिया जा रहा है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण

गरीब महिलाओं को दी जाती है हरसंभव सहायता

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में चलने वाले प्रशिक्षण केंद्र में आने वाली महिलाओं को उनकी जरूरत के अनुसार मदद की जाती है। चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि वैसे तो यहां पर हर श्रेणी की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनर का गुर सीख अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं में अधिसंख्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। वैसे में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वो पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग टीम बनाकर समय–समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना काम करने वाली महिलाओं की देखरेख करते हैं।

वर्ष भर चलते रहता है कौशल विकास का प्रशिक्षण

कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र पर महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार नामांकन ले सकती हैं। नामांकन के समय आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ता है। नामांकन के लिए कोई फीस नहीं लगती है। यहां पर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए महिला प्रशिक्षक हैं। यहां पर पुरुष प्रशिक्षक या पुरुषों का प्रवेश नहीं है। प्रशिक्षण केंद्र की शिक्षिका ममता सिन्हा ने कहा कि सिलाई–कटाई के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक, ब्यूटीशियन कोर्स के लिए सुबह 11 बजे से तीन बजे तक एवं कम्प्यूटर के लिए दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक क्लास चलता है। वही शनिवार और रविवार को प्रशिक्षण केंद्र बंद रहता है। कंप्यूटर की प्रशिक्षण देने वाली शिक्षिका चित्रा ने कहा कि कंप्यूटर में रुचि रखने वाली महिलाओं को डिप्लोमा इन कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

पहले दिनभर घर के कामों में लगी रहती थी। अन्य महिलाओं से यहां दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में पता चला तो पति को समझाने के बाद सिलाई–कढाई का काम सीख रही हूँ। सीखने के बाद खुद का काम करना चाहती हूँ।	बघेरी बहन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिलने वाली प्रशिक्षण के बारे में अवगत कराया। यहां आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहती हूँ, ताकि आत्मनिर्भर बन सकें।	कुछ कारणवश स्कूल की नौकरी छोड़ दी। घर पर बैठे रहने के बाद चैम्बर के बारे में पता चला तो यहां आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं हूँ। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ।	घर चलाने के लिए दुसरों के घरो में चौका–बर्तन करती हूँ ,जिससे परिवार को मदद मिल सके। समय निकाल यहाँ दो माह से सिलाई –कटाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। परिवार को आर्थिक रूप से सहायता करना चाहती हूँ।	यहां न केवल महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि उनका व्यक्तिगत विकास भी किया जाता है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सिलाई मशीन वितरित किया गया।	यहां महिलाएं विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बन अपनी किस्मत को बदल रही हैं। जिसके लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भरपूर सहयोग है।	2014 से महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई महिलाएं अपना बिजनेस आरंभ कर दो पैसे कमा रही हैं। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
कंचन देवी, कुर्जी	**संजू देवी,** गोविंद मिश्रा रोड	**नूतन सिंह** मछुआ टोली	**चंचल,** अशोक राजपथ	**डॉ. गीता जैन** समन्वयक	**ममता सिन्हा** शिक्षिका	**दुर्गा बनर्जी,** शिक्षिका

साभार, दैनिक जागरण 12-07-2019

निमंत्रण देकर भूल गया पेट्रोलियम मंत्रालय

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 माह पहले बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 90 वां वार्षिक समारोह 6 अक्टूबर 2017 में चैम्बर के अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों के भ्रमण करने का निमंत्रण दिया था। लेकिन आज तक बिहार चैम्बर के अधिकारी भ्रमण कार्यक्रम के इंतजार में बैठे हैं। इस बीच भ्रमण को लेकर इंडियन ऑयल के अधिकारियों और चैम्बर के अध्यक्ष के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। भ्रमण का समय निर्धारित नहीं होने से सदस्यों में असंतोष है। साभार, प्रभात खबर 05-07-2019

देरी से कर भुगतान पर बजट में राहत

निर्धारित तिथि के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वालों को बजट में राहत दी गई है। वित्त विधेयक में प्रस्ताव है कि भुगतान में देरी पर ब्याज शुद्ध भुगतान के आधार पर किया जाएगा। सकल कर देनदारी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) भी शामिल होता है, जिसका इस्तेमाल करदाता अगली कर देनदारी के लिए करते हैं, जबकि शुद्ध कर में यह हिस्सा शामिल नहीं किया जाता है। इस मकसद के लिए बजट में केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। भुगतान में देरी करने पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है।

मिली राहत

- **अब** तक सकल कर देनदारी , पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल होता है।
- **बजट** प्रस्ताव के मुताबिक अब शुद्ध कर देनदारी के आधार पर लगेगा ब्याज
- **हैदराबाद** के मुख्य कर आयुक्त के एक फैसले के मुताबिक देना पड़ता था सकल देनदारी पर ब्याज, इसे कोर्ट ने बरकरार रखा
- निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों की मांग मानी, पेश किए गए बजट में साफ कर दी स्थिति। (विस्तृत-बिजनेस स्टैंडर्ड 15-07-2019)

क्या है एफएटीएफ ?

हाल में आपने खबरों में पढ़ा होगा कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) में बनाए रखने का फैसला किया है। भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने यानी काली सूची में ले जाने की कोशिश की। लेकिन चीन, तुर्की और मलेशिया का समर्थन पाकर वह इससे बचने में कामयाब रहा। एफएटीएफ क्या है? इसकी ग्रे लिस्ट व ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है? जागरण पाठशाला के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए नीतियां और मानक तैयार करता है एफएटीएफ

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए नीतियां और मानक तैयार करता है। इसकी स्थापना जुलाई, 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित जी–7 देशों की शिखर बैठक की पहल पर हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अभी एफएटीएफ में 38 सदस्य हैं जिसमें दो क्षेत्रीय संगठन – यूरोपीय कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल शामिल हैं। साथ ही दो देश – इंडोनेशिया और सऊदी अरब बतौर ऑब्जारवर इसमें शामिल हैं। भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना।

एफएटीएफ वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करता है। एफएटीएफ ने पहली बार 1990 में दिशा–निर्देश जारी किये थे। इसके बाद 1996, 2001 और 2003 में दिशा–निर्देश जारी किये। सबसे ताजा दिशा–निर्देश 2012 में जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर एफएटीएफ ने अब तक 40 दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में वे सभी उपाय हैं जिनके जरिये मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकी जा सके। इनमें बैंक खाते और रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन के लिए केवाईसी की जरूरत, आर्थिक अपराध की जांच का तंत्र स्थापित करना, आर्थिक अपराधों के संबंध में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने जैसे उपाय शामिल हैं।

एफएटीएफ विभिन्न देशों में इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए किए गए जरूरी उपायों की निगरानी भी करता है। जिन देशों में मनी लांडिंग और आतंकी फंडिंग रोकने का तंत्र नाकाफी है लेकिन उन्होंने एफएटीएफ के दिशानिर्देशों को लागू करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है उन्हें निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन जो देश इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है।

ऐसे देशों को हाई रिस्क देश भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उनके साथ किसी भी तरह का आर्थिक लेनदेन करना जोखिम भरा हो सकता है। एफएटीएफ अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव करता है, तो वह देश इससे तभी बच सकता है जब कम से कम तीन सदस्य उसके पक्ष में हों।

पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए तीन देशों – चीन, मलेशिया और तुर्की ने समर्थन दिया है। फिलहाल ईरान और उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में हैं। एक बार किसी देश के ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद अन्य देश उसके साथ कारोबार करने में यू डिलिजेंस बढ़ा देते हैं या बंद कर देते हैं जिससे उसके आर्थिक हितों पर कड़ी चोट पहुंचती है। पाकिस्तान सहित करीब दर्जनभर देश फिलहाल एफएटीएफ की निगरानी सूची में हैं।

साभार, दैनिक जागरण 24-06-2019

अब जीरो बैलेंस अकाउंट्स में भी बचत खाते की सुविधाएं

आरबीआई ने बैंकों को ऐसे खातों पर चेकबुक व अन्य सुविधाएं मुफ्त देने को कहा

आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट्स से जुड़े नियम कुछ ढीले कर दिए। इससे बैंक अब ऐसे खाताधारकों को चेकबुक तथा अन्य सुविधाएं दे सकेंगे। इन सुविधाओं के एवज में बैंक हालांकि खाताधारकों को खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए नहीं कह सकते हैं। पहले जीरो बैलेंस अकाउंट्स पर अतिरिक्त सुविधाएं देने से वे रेग्युलर सेविंग्स अकाउंट्स बन जाते थे और उसके बाद उन खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य हो जाता था और अन्य शुल्क भी लागू हो जाते थे।

आरबीआई ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) अकाउंट्स के लिए नियमों में ढील दी है। इन अकाउंट्स को आम तौर पर जीरो बैलेंस अकाउंट्स या नो–फ्रिल्स अकाउंट्स भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशीकरण की कोशिशों के तहत आरबीआइ ने बैंकों से कहा था कि वे बीएसबीडीए को भी उसी तरह से कुछ न्यूनतम सुविधा निशुल्क दें, जिस तरह की सुविधाएं सेविंग्स अकाउंट्स में दी जाती है

भेदभाव नहीं बरता जाएगा

आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि बैंक पहले बताई गई न्यूनतम सुविधाओं के बाद अतिरिक्त मूल्य वर्धित सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं। इन 5 सुविधाओं में चेक बुक जारी करना भी शामिल है। इनके लिए शुल्क नहीं लिए जा सकते हैं और इसमें कोई भेद– भाव नहीं बरती जाएगी। इस तरह की अतिरिक्त सुविधाएं अगर बिना शुल्क लिए दी जा रही हैं, तो इन सुविधाओं के दिए जाने से ये अकाउंट्स नॉन बीएसबीडी अकाउंट नहीं बन जाएंगे। इन सुविधाओं को देने के बाद बैंक अपने ग्राहकों पर खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने जैसी शर्त नहीं लगाएंगे।

पहले ये थे नियम

बीएसबीडी अकाउंट्स से जुड़े पहले के नियमों के तहत खाताधारकों पर खाते में नयूनतम बैलेंस रखने जैसी कोई बाध्यता नहीं होती है और उन्हें कुछ न्यूनतम सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। इन सुविधाओं में एटीएम से एक महीने में चार बार निकासी, बैंक की शाखा में जाकर खाते में पैसे जमा करना और एटीएम कार्ड या एटीएम–सह–डेबिट कार्ड शामिल हैं। नियमों में ढील दिए जाने के बाद अब बीएसबीडी खाते में एक महीने में कितनी बार पैसे जमा की जा सकती है और कितनी रकम जमा की जा सकती है, इस पर कोई सीमा नहीं होगी। साभार, आई नेक्स्ट 11-06-2019

समस्या की शिकायत कॉम्बेट सेल पर

पटना नगर निगम से जुड़ी समस्या के लिए केंद्रीयकृत समस्या निवारण सेवा दी जा रही है। इस सेल में की गई शिकायतों पर त्वरित कार्यवाई की जाती है। आने वाली शिकायतों में जलजमाव, घर से कूड़ा उठाव नहीं होना, स्ट्रीट लाइट का खराब होना, सफाई नही होना जैसी समस्याएं शामिल हैं। शिकायत कॉम्बेट सेल के टॉल फ्री नंबर 1800–3456–644 या व्हाट्सअप नंबर 9472223909 पर कर सकते हैं। साभार, हिन्दुस्तान 24-07-2019

अब आर्थिक विकास व नौकरियों पर फोकस

आर्थिक सुस्ती व बेरोजगारी से निपटने के लिए गति की अलग-अलग दो कैबिनेट कमेटियां

देश की आर्थिक विकास दर गिरने और रोजगार में कमी होने से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अध्यक्षता में दो कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है। एक पांच सदस्यीय कमेटी आर्थिक मोर्चे का अध्ययन करेगी और दूसरी 10. सदस्यीय कमेटी रोजगार और कौशल विकास का अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करेगी। ये दोनों कमेटियां आर्थिक विकास को गति देने, निवेश का माहौल बेहतर करने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाएंगी।

विस्तृत-राष्ट्रीय सहारा 03-06-2019

कर मामला खोलने के लिए चाहिए ठोस सबूत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि चार साल बाद आय कर आकलन का मामला खोलने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए और आकलन अधिकारी के इस आरोप में दम होना चाहिए कि करदाता ने अपनी पूरी आय का खुलासा नहीं किया था। न्यायालय ने बेस्ट साइबरसिटी लिमिटेड बनाम आईटीओ वाद में यह बात कही। न्यायालय ने कंपनी को भेजे गए नोटिस को खारिज कर दिया। अगर अधिकारी को लगता है कि किसी करदाता से गुजरे आकलन वर्ष के दौरान पूरा कर नहीं वसूला गया है तो इसके लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। वह केवल राय में बदलाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। मूल आकलन आदेश में की गई गलती को सुधारने के लिए आय कर कानून की धारा 147/148 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि कर आकलन का मामला दोबारा खोलने के लिए सभी जरूरी कारण होने चाहिए।

साभार, बिजनेस स्टैंडर्ड 13-06-2019

बाउंस चेक के मामलों में सख्ती बढ़ी

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट ऐक्ट के संशोधित प्रावधान पूर्व प्रभाव से लागू होंगे। बाउंस चेक जारी करने के आरोपियों पर लगाम लगाने के लिए यह संशोधन किया गया है। इस कानून की धारा 148 में कहा गया है कि अगर चेक काटने वाला व्यक्ति अपनी सजा के खिलाफ अपील करता है तो उसे अपील अदालत से निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने या मुआवजे की कम से कम 20 फीसदी राशि जमा करने का आदेश दे सकती है।

सुरेंद्र सिंह बनाम वीरेंद्र गांधी वाद में सवाल यह था कि क्या यह प्रावधान पिछली तारीख से लागू होगा। आरोपी व्यक्ति को निचली अदालत ने पर्याप्त राशि के बिना चेक जारी करने का दोषी करार दिया था। जब उसने इसके खिलाफ अपील की तो अदालत ने मामले पर सुनवाई से पहले उसे 25 फीसदी राशि जमा करने को कहा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। उसने उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि पिछले साल सितंबर में किया गया संशोधन उस पर लागू नहीं होता है क्योंकि उसके खिलाफ मामला इससे पहले ही शुरू हो चुका था। अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि कानून में संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि चेक काटने वाले बेईमान लोग सजा से बचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वे सोचते थे कि अपील दायर करके और सुनवाई पर रोक लगने से उनको मदद मिलेगी। उनके इन हथकंडों के कारण चेक प्राप्त करने वाले को परेशानी होती है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं।

साभार, बिजनेस स्टैंडर्ड 03-06-2019

रात में पैसा समाप्त होने पर भी प्री पेड मीटर से मिलेगी बिजली

पैसा जमा नहीं होने पर शाम 5.30 से दूसरे दिन 11 बजे तक नहीं कटती आपूर्ति

अब घर-घर प्रीपेड मीटर लगेगा। मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2020 तक सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा के बाद बिजली कंपनियां सक्रिय हो गयी हैं। प्रीपेड मीटर लगने के बाद रात में राशि समाप्त होने पर भी बिजली नहीं कटती है। पटना शहर में कई स्थानों पर प्रीपेड मीटर रिचार्ज कूपन के काउंटर खुले हैं। काउंटर से भी कूपन मिलता है। घर बैठे मोबाइल ऐप से ऑनलाइन राशि जमा करने की व्यवस्था है।

प्री-पेड मीटर में टॉपअप राशि भरवाने के बाद चलेगा। मीटर के साथ कस्टमर इंटरफेस यूनिट लगा रहा है। इसमें बटन संख्या नाइन दबाने पर राशि दिखाई देता है तथा शून्य दबाने पर घर का लोड दीखता है। महिलाएँ मीटर में राशि देख कर उपकरण ऑन -ऑफ कर खर्च नियंत्रित कर सकती है। इस मीटर के साथ बिजली की बचत भी होती है। राशि समाप्त होते ही बिजली कट जाती है। रविवार व राष्ट्रीय अवकाश के दिन राशि समाप्त होने के बाद भी बिजली नहीं कटती है। शाम 5.30 बजने के बाद राशि समाप्त होने के बाद अगले दिन ग्यारह बजे तक बिजली नहीं कटती है। दिन के ग्यारह बजते ही बिजली गुल हो जाती है। प्रीपेड मीटर की खासियत है कि 100 रुपये से कम राशि होते ही बजर बजता है। उसके बाद आपको संभल जाना होगा। 50 रुपये से कम राशि आते ही लाल बत्ती और टीं-टीं की आवाज आने लगती है। प्रीपेड मीटर में राशि भरवाने के लिए आवाज के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराता रहता है।

नये प्री-पेड मीटर में मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन बिजली खपत की जानकारी देने की तैयारी है। । स्मार्ट फोन पर जानकारी मिलते रहेगी तथा स्मार्ट फोन नहीं रहने पर प्रतिदिन एसएमएस आएगा। पहले प्रीपेड मीटर की परिकल्पना सरकारी आवासों में लगाने की थी। स्थानांतरण के बाद सरकारी सेवक चले जाते थे और दूसरा व्यक्ति बिजली बिल नहीं देने पर अड़ जाता था। इस कारण प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री ने सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है।

साभार, दैनिक जागरण 06-06-2019

यहां बन सकता है सोलर फार्म

07 मीटर से कम ऊंची उठती हों जहां समुद्र की लहरें

70 द्वीप मिल कर एक वर्ग किमी करेंगे कवर

3.2 करोड़ द्वीप कर सकते हैं पृथ्वी को ग्रीनहाउस से मुक्त

600 मीटर अधिक गहरा नहीं हो पानी

सौर ऊर्जा के अग्रणी देश

सौर ऊर्जा उत्पादन (मेगावॉट में)

जर्मनी	–	38,250
चीन	–	28,330
जापान	–	23,409
इटली	–	18,622
अमेरिका	–	17,317
भारत	–	12,870
फ्रांस	–	5,678
स्पेन	–	5,376
ऑस्ट्रेलिया	–	4,139
बेल्जियम	–	3,156

साभार, प्रभात खबर 20-06-2019

मकान मालिक अब नहीं बढ़ा सकेंगे अपनी मर्जी से किराया, ड्राफ्ट तैयार

मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मॉडल रेंटल एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों का ख्याल रखा गया है। ड्राफ्ट के तहत मकान मालिक किराये की अवधि के दौरान अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा, मकान मालिक को घर के जायजा, रिपेयर से जुड़े काम या किसी दूसरे मकसद से आने के लिए 24 घंटों का लिखित नोटिस एडवांस में देना होगा। एक्ट के ड्राफ्ट में सिक्युरिटी एडवांस पर पाबंदी लगायी गयी है। इसके अनुसार, कोई भी मकान मालिक दो महीने से ज्यादा का किराया सिक्युरिटी एंडवांस के रूप में नहीं लेगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि यदि कोई किरायेदार तय समय से ज्यादा मकान में रहता है, तो उसे पहले दो महीने के लिए दोगुना किराया देना होगा। यदि वह दो महीने से ज्यादा समय तक रहता है, तो उसे चार गुना किराया देना होगा। हाउसिंग और अर्बन मामलों के मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट को संबंधित पक्षों के पास सुझावों के लिए भेजा है। सुझाव मिलने के बाद एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने बजट भाषण में इस एक्ट की घोषणा की थी। इसके बाद मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है।

मकान मालिक के अधिकार

- रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मकान खाली नहीं करने पर चार गुना तक किराया वसूलेंगे
- किरायेदार मकान को दूसरे के हाथों नहीं सौंप सकते किरायेदार पर मकान की अच्छे से देखभाल और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होगी
- किरायेदार मकान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नुकसान होने पर मकान मालिक को बताना होगा

किरायेदार के अधिकार

- किराया बढ़ाने के लिए तीन महीने पहले देना होगा नोटिस
- रेंट एग्रीमेंट के बीच किराया नहीं बढ़ेगा
- अधिकतम दो महीने के किराये से ज्यादा नहीं होगी सिक्योरिटी मनी
- विवाद होने पर मकान मालिक बिजली पानी जैसी जरुरी सुविधाएँ नहीं रोक पाएंगे।

दोनों की जिम्मेदारी

माकान की देख–भाल के लिए किरायेदार और मकान मालिक, दोनो हीं जिम्मेदार होंगे। अगर मकान मालिक ढाँचे में कुछ सुधार कराते हैं, तो उन्हे रिनोवेशन का काम खत्म होने के एक महीने के बाद किराया बढ़ाने की इजाजत होगी। हालांकि, इसके लिए किरायेदार की सलाह भी ली जयेगी।

कानून लागू करना राज्य की मर्जी

राज्य सरकारों की मर्जी होगी, तो वे यह कानून अपने यहां भी लागू कर सकेंगी। हालांकि, वहां यह कानून पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में वैसे हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को कोई राहत नहीं मिलेगी, जिन्हें प्राइम कमर्शियल लोकेशन पर भी पुराने एग्रीमेंट के मुताबिक बेहद कम किराया मिल रहा है।

रेंट कोर्ट में होगा विवादों का फैसला

ड्राफ्ट में रेरा जैसी अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की गयी है। यह किराया अथॉरिटी विवादों का निपटारा करेगी, किरायेदार और मकान मालिक को रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद इसको अथॉरिटी में जमा करना होगा। एग्रीमेंट में मासिक किराया, अवधि, मकान में आंशिक रिपेयर, बिलों का भुगतान (बिजली, गैस, मेन्टेनेंस आदि) जैसे का जिक्र होगा। विवाद होने पर कोई भी पक्ष अथॉरिटी के पास जा सकता है, किरायेदार अगर लगातार दो महीने तक किराया नहीं देता है, तो मालिक रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। इस अथॉरिटी को रेंट कोर्ट या रेंट ट्रीब्यूनल कहा जा सकता है। साभार, प्रभात खबर 12-07-2019

8 जिलों में सड़क के लिए 369.9 करोड़ की योजना

राजधानी पटना समेत आठ जिलों में चकाचक सड़कें बनेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 369 करोड़ की योजना को हरी झंडी दी है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया, कि विभागीय निविदा समिति ने गया, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, भागलपुर, बक्सर, रोहतास, नवादा और पटना में सड़क निर्माण व इससे जुड़े विविध कार्यों के लिए 369.96 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके तहत 126 किलोमीटर की दूरी में सड़कों का उन्नयन और विकास किया जाएगा।

कहाँ क्या

- पटना में बेली रोड के आसपास के लिए 87.65 करोड़
- गया जिले के शेरघाटी के लिए 10.52 करोड़
- बेतिया की दो योजना के लिए 221.39 करोड़
- मोतिहारी के रक्सौल के लिए 11.96 करोड़
- बक्सर व रोहतास के लिए 23.17 करोड़
- नवादा जिले के लिए 03.15 करोड़
- भागलपुर में धौरैया के लिए 12.09 करोड़ साभार, दैनिक भास्कर 09-06-2019

बैट्री चालित वाहनों को टैक्स में 50% छूट : उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बैट्री चालित वाहनों को टैक्स में 50 फीसद छूट देने की घोषणा की है। साथ ही ऐसे वाहनों के लिए रिचार्ज स्टेशन भी बनाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार दिनांक 5 जून 2019 को ज्ञान भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि 501 पेट्रोल पंपों और वाहनों के सर्विस सेंटरों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के निर्णय के अलावा इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। राजधानी के 45 प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन प्रमाण–पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है।

साभार, दैनिक जागरण 06-06-2019

ई-रिक्शा पर लगाए जा रहे हैं ग्रीन नंबर प्लेट

ई–रिक्शा की अलग पहचान होगी। पर्यावरण संरक्षण के नजरिये से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सभी ई–रिक्शा में ग्रीन रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया। है। विश्व पर्यावरण दिवस से ई–रिक्शा में ग्रीन नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू किया गया है। ई–रिक्शा में ग्रीन प्लेट पर पीले रंग का नंबर लिखा रहेगा। अब तक निजी वाहनों में नंबर सफेद और व्यावसायिक वाहनों में पीली पट्टी में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाये जा रहे थे। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी एक हजार ई–रिक्शा ग्रीन नंबर प्लेट के साथ देने की योजना है। पिछले पांच सालों में राजधानी में पांच हजार ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राजधानी की सड़कों पर ई–रिक्शा का रूट तय नहीं होने की वजह से चालकों को परेशानी होती है। साभार, हिन्दुस्तान 06-06-2019

दानापुर में एलएचबी कोच मेंटेनेंस यार्ड

दानापुर में जल्द ही एलएचबी कोच के मेंटेनेंस के लिए एक अलग यार्ड बनेगा। इस यार्ड में एलएचबी कोच का मेंटेनेंस होगा। दानापुर के दक्षिणी हिस्से में रेलवे की खाली जमीन पर यह यार्ड बनेगा। डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकुर ने बताया कि एलएचबी यार्ड के लिए योजना तैयार कर ली गई है।

विस्तृत-हिन्दुस्तान 02-06-2019

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा, दोपहिया के साथ चारपहिया पर भी बढ़ा प्रीमियम, नई दर 16 जून से लागू

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निजी दोपहिया और 4– व्हीलर्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम दरों में इजाफा किया है। नई प्रीमियम दरों का , अनुपालन 16 जून से होगा। । नए नोटिफिकेशन के अनुसार नई दरों में कार 4 से 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि 150 सीसी और 350 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के सेगमेंट में की गई है। इन दरों को 985 रुपए से बढ़ाकर 1193 रुपए किया जा रहा है। इन वाहन मालिकों को अब इस साल अतिरिक्त 208 रुपए देने होंगे। हालांकि, 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रीमियम में बदलाव इंजन क्षमता के आधार पर किया गया है।

प्रीमियम की वर्तमान और नई दर

दोपहिया वाहन

गाड़ी	पहले	अब	प्रतिशत वृद्धि
75 सीसी से कम	427	482	12.88%
75सीसी से अधिक 150 सीसी से कम	720	752	4.44%
150सीसी से अधिक 350 सीसी से कम	985	1193	21.11%
350सीसी से अधिक	2,323	2,323	बदलाव नहीं
चारपहिया वाहन			
1000 सीसी से कम	1,850	2,072	12%
1000सीसी से अधिक 1500 सीसी से कम	2,863	3,221	12.50%
1500सीसी से अधिक	7,890	7,890	बदलाव नहीं

साभार, दैनिक भास्कर 11-06-2019

पटना मेट्रो डिपो को लेकर एतवारपुर-आइएसबीटी में जगह चिह्नित

राजधानी में मेट्रो परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए अब जमीन चिह्नित करने व उसका अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। इसके लिए राजस्व के अपर समाहर्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में

टीम का गठन किया गया है। टीम मेट्रो की परियोजना पर काम कर रही राइट्स की ओर से चिह्नित जमीन का अधिग्रहण करेगी। फिलहाल प्रथम चरण में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दो डिपो का निर्माण किया जायेगा, जहां मेट्रो की गाड़ियाँ आकर खड़ी होंगी। यार्ड का निर्माण होगा। गाड़ियों की धुलाई से लेकर अन्य काम किये जायेंगे। राइट्स ने इसके लिए दो जगहों को चिह्नित किया है, इसमें एक कॉरिडोर के लिए परसा बाजार के पास एतवारपुर व दूसरे कोरिडोर के लिए पटना–गया रोड पर बने रहे अंतरराज्यीय बस स्टैंड के पास जगह चिह्नित किया गया है। विस्तृत-प्रभात खबर 11-06-2019

इलेक्ट्रिक वहान थोपने से बचे सरकार, इससे ऑटो उद्योग को बड़ा नुक्सान होगा: सियाम

उद्योग जगत ने सरकार को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को वाहन उद्योग और बाजार पर थोपने से बचने की सलाह दी है। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम ने कहा है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की टेक्नोलॉजी और बाजार में, उनकी स्वीकार्यता को समय के साथ विकसित होने दे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सभी प्रकार के वाहनों का विकल्प जारी रखने चाहिए। सियाम ने कहा कि वह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की नीति आयोग की मुहिम को समर्थन करती है। लेकिन सरकार को अपने रुख को व्यावहारिक रखना चाहिए। साभार, दैनिक भास्कर 10-06-2019

2.5 वर्ग मीटर वाले बोर्ड पर लगेगा टैक्स

दुकानों के ऊपर लगे सेल्फ साइनेज बोर्ड को लेकर निगम अपना रुख साफ कर सकता है। सेल्फ साइनेज बोर्ड के नाम पर कंपनियों का प्रचार करना अब दुकानदारों और व्यवसायियों को महंगा पड़ सकता है। नए रेगुलेशन लागू होने पर 2.5 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े सेल्फ साइनेज बोर्ड के लिए नगर निगम को टैक्स चुकाना पड़ सकता है। निगम के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार रेगुलेशन के पहले ड्राफ्ट में पटना नगर निगम क्षेत्र को तीन भागों (ए, बी और सी) में बांटने की योजना है। सड़कों के अनुसार विज्ञापन जोन तैयार किया गया है। जोन के अनुरूप ही विज्ञापन प्रदर्शन की दरें तय की गई हैं। नए रेगुलेशन में सेल्फ साइनेज और सेल्फ एडवरटाइजमेंट वाले होर्डिंग आदि के लिए नगर निगम के द्वारा समान रंग, आकार, डिजाइन और फॉन्ट भी तय करने की योजना तैयार की गई है। इससे एक लुक देने में नगर निगम को मदद मिल सकती है। नगर निगम द्वारा तैयार रेगुलेशन में रेलवे स्टेशन को छोड़कर अन्य जगहों पर रेलवे की अनुमति से लगाए गए विज्ञापन के राजस्व का 25 प्रतिशत निगम को देने का प्रस्ताव किया गया है। ई टेंडर और ई ऑक्शन का रिजर्व प्राइस नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी। बाजार के अनुसार इसकी दर कमेटी तय करेगी। साभार, हिन्दुस्तान 08-06-2019

असंगठित कारोबार को बड़ी राहत देने की तैयारी

संबंधित पक्षों से राय लेने के लिए राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जल्द जारी करेगा केंद्र

केंद्र सरकार देशभर में असंगठित क्षेत्र के 6.5 करोड़ छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार जल्द से जल्द राष्ट्रीय खुदरा नीति लागू कर असंगठित क्षेत्र के कारोबार को संगठित जैसा बनाने की योजना बना रही है। इसी दिशा में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग संबंधित पक्षों की राय लेने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा।

इस नीति का लक्ष्य खुदरा व्यापार का सरलीकरण और क्षेत्र में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना होगा। इस नीति में मुख्य तौर पर कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना लाइसेंसराज को कम करना, पूंजी तक पहुंच बढ़ाना, सीधे बिक्री और हाइपर मार्केट से संबद्ध मुद्दों का समाधान करना शामिल है। इस नीति में मुख्य ध्यान खुदरा क्षेत्र की वृद्धि के तरीकों को खोजने, डिजिटल मुगतान को बढ़ाने और संरचनात्मक बाधाओं को कम करने पर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग ने प्रस्तावित नीति पर परामर्श संबंधी काम पूरा कर लिया है। हम इसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। जिसे जल्द ही लोगों के राय–मशविरे के लिए रखा जाएगा। प्रस्तावित नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है।

विस्तृत, हिन्दुस्तान 15-07-2019

महिला उद्यमियों के उत्पाद को बेचेंगे मशहूर उद्योगपति

महिला उद्यमियों के हस्तनिर्मित सामान को बाजार देने की पहल शुरू हो गई है। अचार, पापड़, सत्तू, बेसन, अदौड़ी, मुरब्बे, ठेकुआ, चूड़ी–लहठी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कला, जूट क्राफ्ट और बुटीक के सामान को बेचने की पूरी व्यवस्था होगी। महिला विकास की ओर से महिला उद्यमियों के उत्पाद को बाजार देने का काम किया जाएगा। इसके लिए निगम ने बिहार से बाहर रह रहे उद्योगपतियों को राज्य में आकर इन्वेस्ट करने के लिए बात की थी। पांच उद्योगपतियों ने राज्य में आकर काम करने की हामी भर दी है। इसके लिए सरकार उद्योगपतियों के लिए राज्य में जमीन मुहैया भी कराएगी। दिल्ली, पंजाब और गुजरात के उद्योगपतियों से समझौता हुआ है। महिला विकास निगम की एमडी डॉ. एन. विजया लक्ष्मी ने बताया कि महिला उद्यमियों को बाजार देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर से मिलेगा लाभः मार्केट उपलब्ध कराने से लेकर, बैंक लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कराने की पूरी व्यवस्था कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से होगा। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मार्केट की मांग को देखते हुए उत्पाद तैयार करने के बारे में बताया जाएगा। बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा ने बताया राज्य की 500 से अधिक महिला उद्यमी संघ से जुड़ी हैं। राज्य में महिला उद्यमियों के उत्पाद को बाजार नहीं मिल पाता है। उनके उत्पाद बाजार देने के लिए साल में दो बार मेला लगाया जाता है। विस्तृत, हिन्दुस्तान 21-06-2019

खादी वस्त्रों को बाजार व बुनकरों को रोजगार देगी सरकार

बुनकरों ने मजदूरी पर 10 फीसदी अनुदान, कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने और बाजार उपलब्ध कराये जाने की उठाई मांग।

राज्य सरकार खादी वस्त्रों को बाजार एवं बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। खादी वस्त्रों का बाजार न केवल राज्य में बल्कि देशभर में मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए तैयारी जोर–शोर से चल रही है। ये बातें खादी संस्थाओं की बैठक में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहीं। विस्तृत, दैनिक जागरण 15-07-2019

निरक्षरों को भी व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा

केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक अब निरक्षर भी व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। सरकार का मानना है कि ट्रक–बस चलाने के लिए पढ़ाई की नहीं बल्कि कौशल की ज्यादा जरूरत होती है। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मौजूदा समय में 22 लाख व्यावसायिक ड्राइवरों की कमी है। इससे फर्जी डीएल बनवाने पर भी अंकुश लगेगा। विस्तृत, हिन्दुस्तान 19-06-2019

बाहरी व्यक्ति के नाम की गई वसीयत वैध

यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पति किसी बाहरी व्यक्ति के नाम लिख दे तो वसीयत संदिग्ध नहीं हो जाती, ये पूर्णतया वैध रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिपण्णी कर मृतक की पत्नी की याचिका खारिज कर दी। पत्नी ने पति की वसीयत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि जिस अरुण के नाम वसीयत की गयी वह पड़ोसी है, परिवार का सदस्य नहीं।

मामला बंबई हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी सुप्रीम कोर्ट आयी। जस्टिस एम आर साह व ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हालाँकि कोर्ट ने अरुण को निर्देश दिया की वह विधवा को 7500 रूपए प्रतिमाह गुजरा खर्चा देगा। यह 2011 से लागु होगा।

क्या है मामलाः विश्वनाथ ने पड़ोस में रहने वाले अरुण के नाम सभी संपत्ति की वसीयत कर दी। अरुण विश्वनाथ और उसकी पत्नी की देखभाल करता था। वसीयत में कहा गया की उनकी मृत्यु के बाद अरुण पत्नी की देखभाल करेगा। पत्नी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। साभार, हिन्दुस्तान 06-06-2019

पारिवारिक जमीन की बंटवारा रजिस्ट्री में आ रहीं अड़चनें

नहीं मिल रहे जमीन के दस्तावेज

पैतृक जमीन के बंटवारा में सुविधा के लिए कानून तो बना, लेकिन जमीन के दस्तावेज नहीं मिलने से पारिवारिक बंटवारा रजिस्ट्री में अड़चनें आ रही हैं। नतीजा लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगना पड़ रहा है। जमीन के पुराने दस्तावेज को लेने के लिए लोग जिलों में रेकॉर्ड रूम व अंचल कार्यालयों में दौड़ लगा रहे हैं। रिकॉर्ड रूम में समुचित व्यवस्था नहीं होने से पुराने दस्तावेज निकालने में कठिनाई हो रही है। पुराने दस्तावेज नहीं मिलने से डीड नहीं बन रहा है। जबकि, पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए डीड पेपर जरूरी है। तभी पारिवारिक बंटवारा रजिस्ट्री संभव है। पारिवारिक बंटवारा रजिस्ट्री में जमीन का खतियानी दस्तावेज के साथ पारिवारिक वंशावली बनाकर देने की मांग कार्यालय में हो रही है। इसके आधार पर ही सौ रुपये में जमीन का रजिस्ट्री संभव है।

दादा की संपत्ति में मिलेगी छूट, पिता की संपत्ति में नहीं: पारिवारिक बंटवारा रजिस्ट्री के लिए बने नियम में पैतृक जमीन के अलावा अन्य जमीन के रजिस्ट्री में किसी प्रकार की छूट नहीं है। विभागीय सूत्र ने बताया कि जीवित पिता अगर अपने बेटे को जमीन रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो वे सेटलमेंट या गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे में पूरा रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। यानी महज सौ रुपये में पैतृक संपत्ति बंटवारा रजिस्ट्री कानून के तहत उनका रजिस्ट्री नहीं होगा। विभाग इसके बारे में नियमों को क्लियर करते हुए सारे रजिस्ट्री कार्यालय को पत्र भेजने की तैयारी में है।

क्या है नियम

संपत्ति को लेकर हो रहे विवाद को समाप्त करने के लिए पैतृक संपत्ति बंटवारा रजिस्ट्री कानून बनाया गया। इसके तहत महज सौ रुपये में पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा है। इसमें 50 रुपये स्टांप ड्यूटी व 50 रुपये निबंधन शुल्क लगता है।

साभार- प्रभात खबर 06-06-2019

बिहार को मिला सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार

कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार और कई तरह की योजनाएं लागू करने वाले बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली में दिनांक 11जुलाई 2019 को होटल ताज पैलेस में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह पुरस्कार बिहार के कृषि मंत्री डा. प्रेम कुमार को दिया।

केरल के राज्यपाल की अध्यक्षता वाली लीडरशिप पुरस्कार समिति ने इस पुरस्कार के लिए बिहार को चुना। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने इस पुरस्कार की शुरूआत 2008 में की थी। मौके पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार एवं बामेती के निदेशक डा. जीतेन्द्र प्रसाद भी मौजूद थे ।

कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार को यह पुरस्कार रोडमैप बनाकर कृषि का व्यापक विकास एवं राज्य सरकार के किए गये कार्यो के लिए दिया गया है। कृषि विकास के क्षेत्र में किसानों के बैंक खाते में अनुदान का सीधा भुगतान, जैविक कॉरिडोर की स्थापना, कृषि प्रसार तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए किसान चौपालो का आयोजन, कृषि विभाग के लिए नए विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना ने बिहार को दूसरे राज्यों से अलग किया। प्रेम कुमार ने कहा की बिहार कृषि विश्वविद्यालय को यूट्यूब की तरफ से क्रिएटिविटी अवार्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र सबौर को राष्ट्रीय स्तर पर 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान का पुरस्कार तथा रोहतास को क्षेत्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान का पुरस्कार मिला है । ये सारे पुरस्कार बताते है कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है।

साभार, दैनिक जागरण 12-07-2019

भारतीयों के लिए आसान होगा अमेरिका में बसना

अमेरिका में रह रहें भारतवंशियों समेत वहां काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए 10 जुलाई 2019 खुशखबरी लाया। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजुदा 7 फीसदी सीमा हटा ली है। इसका फायदा एच 1–बी वीजा पर अमेरिका में रह रहे उच्च कौशल वाले भारतीय पेशेवरों को सबसे अधिक होगा। ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुपति देता है।

ग्रीन कार्ड पर सीमा हटाने वाला विधेयक दिनांक 10 जुलाई 2019 अमेरिकी सांसद में पारित हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा । नया कानून आने के बाद अमेरिका में हर साल किसी भी देश को जारी होने वाले रोजगार और परिवार आधारित वीजा की संख्या में बदलाव होगा। किसी भी वर्ष के लिए अमेरिका जितने वीजा जारी करेगा, उनमे किसी देश को दिए जाने वाले रोजगार वीजा की अधिकतम सीमा खत्म हो जाएगी। जिससे भारतीय पेशेवर वीजा पा सकेंगे। परिवार आधारित वीजा की सीमा उस वर्ष की कुल वीजा संख्या की 7 से बढ़कर 15 फीसदी हो जाएगी

'फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019' या ' एचआर 1044' नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हुआ। इस विधेयक को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी सांसदो में पहले से ही सहमती थी ।

साभार, हिन्दुस्तान 12-7-2019

पेटीएम से होगा कूड़ा उठाव व प्रॉपर्टी शुल्क का भुगतान

कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर पेटीएम बार कोड लगाने का काम प्रारंभ

अगले सप्ताह से शहरवासी डोर–टू–डोर कचरा उठाने का यूजर चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स पेटीएम से भी कर सकेंगे। इसके लिए निगम द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निगम का पेटीएम अकाउंट भी खुल गया है। साथ ही राजधानीवासियों की सुविधा के लिए कचरा उठाने वाली सभी गाड़ियों पर निगम द्वारा पेटीएम बार कोड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पेटीएम के अलावा ऑनलाइन, पॉस मशीन और रसीद के द्वारा भी शुल्क भुगतान करने की सुविधा रहेगी । जो लोग पेटीएम और पॉस मशीन ऑनलाइन पैसे नही दे सकते है, उनके लिए रसीद की व्यवस्था रहेगी । यूजर चार्ज एक जनवरी 2019 से वसूला जाएगा ।

नगर निगम की जनसंपर्क अधिकारी हर्षिता ने कहा कि अगले सप्ताह से पेटीएम से भी कूड़ा उठाव शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। पेटीएम अकाउंट खोल लिया गया हैं। लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए निगम द्वारा पेटीएम बार कोड का विज्ञापन दिया जएगा।

सार्वजनिक क्षेत्रों में कचरा फैलाने वालों से निगम वसूलेगा दंड

अवासीय क्षेत्रों में कचरा फैलाने पर	₹300
दुकानदार	₹450
रेस्टोरेंट	₹700
होटल	₹1000
औद्योगिक इकाई	₹2000
मिठाई दुकानदार,स्ट्रीट वेंडर	₹200
खटाल संचालक	₹500
घर निर्माण के मलबे पर	₹1500
मांस–मछली दुकानदारों से	₹1000

- **ऑनलाइन,पॉस मशीन और रसीद से भी यूजर चार्ज जमा करने की सुविधा रहेगी**
- **यूजर चार्ज एक जनवरी 2019 से वसूला जाएगा, अगले सप्ताह से स्वीकार की जाएगी राशि**

कचरा उठाव के लिए यूजर फीस

अवासीय	30 रुपये
स्लम–बीपीएल	निःशुल्क
मिठाई दुकान	100 रुपये
ढाबा–कॉफी हाउस	100 रुपये
रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस	500 रुपये
धर्मशाला, हॉस्टल	500 रुपये
स्टारहोटल	5000 रुपये
व्यवसायिक कार्यालय	500 रुपये
सरकारी कार्यालय	500 रुपये
बैंक,इंश्योरेंस	500 रुपये
कोचिंग, शैक्षणिक संस्था	500 रुपये
क्लीनिक, डिस्पेंसरी,लैब	250 रुपये
अस्पताल 50 बेड	1500 रुपये
अस्पताल 50 बेड से अधिक	3000 रुपये
लघु व मध्यम उद्योग	500 रुपये
गोदाम,कोल्डस्टोरेज	2500 रुपये
विवाह भवन,हॉल,मेला	2500 रुपये

साभार, दैनिक जागरण 12-07-2019

निवेशकों को पटना पसंद दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर

बिहार सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत करीब 1000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा प्रस्ताव पटना में निवेश के

लिए आए हैं। हालांकि राज्य में इस नीति के तहत सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव औरंगाबाद जिले में आया है।

राज्य ने 2016 में अपनी कई नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की थी। इस नीति के तहत बिहार सरकार ने पूंजी अनुदान को खत्म करने का फैसला लिया था। इसकी जगह पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था को लागू किया था। सरकार ने इस नीति के तहत कार्यरत इकाइयों का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था। इस सर्वेक्षण में औद्योगिक नीति के तहत बिहार में सबसे ज्यादा कार्यरत इकाइयां पटना में मिली है। पटना जिला में 162 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पटना में इस नीति के तहत 52 इकाइयां कार्यरत हैं।

मुजफ्फरपुर जिले में इस नीति के तहत 14 इकाइयां लगी हैं। इनमें 49 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं गया जिले में भी आधी दर्जन इकाइयां लगी है। जिसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस जिले में सबसे ज्यादा निवेश एक सौर ऊर्जा पार्क में हुआ है। समस्तीपुर जिले में करीब 40 करोड़ रुपए का निवेश 7 इकाइयों के जरिए आया है। पटना के पास हाजीपुर में 6 इकाइयों के जरिए करीब 19 कारोड़ रूपये का निवेश हुआ है। भोजपुर में भी 7 इकाइयों के जरिए लगभग 45 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। राज्य में इस नीति के तहत सबसे बड़ी इकाई औरंगाबाद में लगी है। यहां श्री सीमेंट ने करीब 500 करोड़ रुपए का लागत से सीमेंट कारखाना लगाया है। दूसरे नंबर पर गया जिले में अक्षय ऊर्जा से संबंधित इकाई है, जहां करीब 83 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।

साभार, बिजनेस स्टैंडर्ड 09-07-2019

बैंक धोखाधड़ी मामले

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 222 धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों को 27 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा।

एसबीआई	6852
पीएनबी	6,188
बैंक ऑफ बड़ौदा	5,383
सेंट्रल बैंक	4,514
आंध्रा बैंक	2,108
आईसीआईसीआई	1,730
यूको बैंक	738

साभार, राष्ट्रीय सहारा 15-07-2019

सुबह और शाम, अलग-अलग होगी बिजली दर

- **बिजली व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, नई टैरिफ नीति का खाका तैयार**
- **दिन में सौर ऊर्जा की आपूर्ति की वजह से सस्ती होगी बिजली।**

हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ–साथ सरकार एक और तैयारी में लगी हैं। यह तैयारी है दिन के अलग–अलग हिस्से में बिजली की अलग–अलग दर तय करना। यानी सुबह बिजली की दर अलग, दोपहर को अलग और शाम को अलग। योजना के मुताबिक दिन में बिजली की दर कम होगी, क्योंकि राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति करेंगी। ऐसे में घर में वाशिंग मशीन या बिजली खपत वाली दूसरी मशीनों का इस्तेमाल अगर दिन में किया जाएगा, तो उससे बिजली का बिल कम आएगा। बिजली व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दैनिक जागरण को यह जानकारी दी।

विस्तृत, दैनिक जागरण 10-07-2019

बिहटा-औरंगाबाद खंड के निर्माण का रास्ता साफ

- **40 करोड़ की राशि का केंद्रीय आम बजट में हुआ आवंटन**
- **3500 करोड़ की लागत आएगी 118.45 किमी के इस रेल खंड पर**
- **15 स्टेशन बनाए जाएंगे बिहटा से औरंगाबाद के बीच**

बहुप्रतीक्षित बिहटा–औरंगाबाद रेलखंड के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। इस साल के बजट में इसके निर्माण के लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत कर दी गई है। 3,500 करोड़ की लागत से बनने वाली इस नई रेल लाइन का शिलान्यास शीघ्र ही रेलमंत्री या अन्य वीवीआइपी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए आम बजट में 40 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। इसके पहले अंतरिम बजट में भी इस रेल परियोजना के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। प्रथम चरण में इस रेलखंड के बिहटा से पालीगंज तक की रेललाइन का निर्माण होगा। जबकि दूसरे चरण में पालीगंज से औरंगाबाद तक रेललाइन बनेगी।

विस्तृत, दैनिक जागरण 11-07-2019

यात्री सुविधाओं पर खर्च होंगे 227 करोड़

- **2019–20 के बजट के लिए मिला 4560.12 करोड़ रुपये**
- **ट्रैकों के नवीकरण के लिए ईसीआर को 635 करोड़**

इस वर्ष पूर्व–मध्य रेल यात्री सुविधाओं पर 227 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस क्रम में स्टेशनों पर एसी वेटिंग हॉल, पेयजल, शौचालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, फुटओवर ब्रिज आदि की व्यवस्था की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2019–20 के आम बजट में ईसीआर को यात्री सुविधा के लिए 227 करोड़ रुपये मिले हैं। इस वर्ष के बजट में ईसीआर को कुल 4560.12 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

पिछले वर्ष 4017.41 करोड़ की तुलना में यह 13.5 प्रतिशत अधिक है। सीपीआरओ राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस बजट में ईसीआर को पर्याप्त धनराशि का आवंटन हुआ है। इससे ईसीआर में रेलवे के विकास कार्यों में तेजी आएगी। बजट में रेल लाइन निर्माण के लिए 448 करोड़ रुपये, अमान परिवर्तन के लिए 185 करोड़ रुपये, संरक्षा (ऊपरी और निचली सड़क पुल) निर्माण के लिए 218 करोड़ तथा समपार से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए 59 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

ट्रेनों की गति में वृद्धि और ट्रेनों के समय पालन में सुधार के लिए ट्रैक का नवीकरण भी महत्वपूर्ण है। इन कार्यों के लिए ईसीआर को 635 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

साभार, हिन्दुस्तान 11-07-2019

नई तकनीक से रेलवे में अक्टूबर तक रोज चार लाख अतिरिक्त बर्थ जुड़ेंगी

इंधन की खपत कम होने के साथ सालाना 6,000 करोड़ रुपए की बचत भी

भारतीय रेल ट्रेनों में बिजली पैदा करने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल करने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने अब तक सभी एलएचबी कोच में हेड ऑन जनरेशन (एचओजी) सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इसके तहत बोगियों में रोशनी और एयरकंडीशनर समेत अन्य उपकरण चलाने के लिए बिजली ट्रेन के इंजन से पैदा होगी।

वर्तमान में इसके लिए ट्रेन के आगे–पीछे दो पावर कार जनरेटर लगाए जाते हैं। एचओजी तकनीक पावर कार जनरेटर हटा देगी। इनके स्थान पर ट्रेन में एसी–2 या एसी–3 श्रेणी के कोच यात्रियों की मांग के अनुसार लगाए जा सकेंगे।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर 2019 तक 5000 से अधिक रेल कोच नई तकनीक पर काम करेंगे। इससे 3,500 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी ट्रेनों में यात्रियों का प्रतिदिन 4 लाख अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी। इसके अलावा डीजल की बचत होने से रेलवे को सालाना 6000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

विस्तृत, दैनिक भास्कर 11-07-2019

बिहार में प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि

बिहार में प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक वृद्धि हुई है। साथ ही बिहार में प्रति व्यक्ति आय में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक 12.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। 4 जुलाई 2019 को संसद में पेश 2018–19 के आर्थिक सर्वेक्षण से इसका खुलासा हुआ है। भारत में 2017–18 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि 9.8 फीसदी रही है। वहीं झारखंड में 6.6 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 8.9 फीसदी, उत्तराखंड में 10.3 फीसदी व दिल्ली में 10. 1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके मुताबिक बिहार के लोगों की इस अवधि के दौरान औसत कमाई 38 हजार 860 रूपये रही। हालांकि राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति एक लाख 14 हजार 958 रूपये रही। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017–18 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 48 हजार 584 रूपये रहा है। गौरतलब है कि बिहार की विकास दर देश में सबसे तेज 11.9 फीसदी रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 की विकास दर 9.9 फीसदी से 2 फीसदी अधिक है। जबकि दोनों ही वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर 7 फीसदी के करीब ही रही है, वहीं बिहार पिछले एक दशक से रेवेन्यू सरप्लस राज्य रहा है।

विकास कार्यों के खर्च में भी वृद्धि

जानकारी के अनुसार वर्ष 2013–14 और 2017–18 के बीच विकास कार्यों में राजस्व खर्च 80 प्रतिशत बढ़कर 54 हजार 456 करोड़ से 98 हजार 152 करोड़ हो गया। वही विकासेत्तर राजस्व व्यय इस अवधि में 25 हजार 945 करोड़ से 38 हजार 271 करोड़ हो गया। वर्ष 2017–18 में कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का था और 28 प्रतिशत विकासेत्तर प्रकृति का।

विस्तृत, हिन्दुस्तान 05-07-2019

राहत लोकसभा में केंद्र ने किया साफ, बाउंसर रखना गैरकानूनी

बाउंसर भेजकर लोन वसूली नहीं करवा सकते बैंक

अगर कोई कस्टमर बैंक से लिए गए लोन को नहीं चुका रहा है तो उससे जबरन वसूली के लिए बैंक बाउंसर नहीं रख सकते। यही नहीं उन कस्टमर से जबरदस्ती वसूली भी नहीं कर सकते। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इसे गैरकानूनी बताते हुए स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी: प्रश्नकाल के दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि किसी को जबरदस्ती लोन वसूलने का अधिकार नहीं है और ना ही बैंक बाउंसर या पहलवान रख सकते हैं। ठाकुर ने कहा कि रिकवरी एजेंट को नियुक्त करने को लेकर आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइंस है। इस की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही हो सकती है। मोदी सरकार के इस बयान के बाद कई लोग बाउंसर के उत्पीड़न से बच सकेंगे।

लोन वसूली बड़ी चुनौती

- लोन वसूलना बैंकों और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- बड़ी मछलियों से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोन वसूलना मुश्किल बना हुआ है।
- ऐसे हालात में कई जगह से लोन उगाही के लिए बल प्रयोग के केस भी सामने आते रहे हैं।
- हाल ही में यूपी के लखीमपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लोन वसूली के नाम पर गुंडागर्दी की बात सामने आई थी।
- लोगों ने बकायदा पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि बैंक वाले लोन वसूली के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं।
- यहां तक की कर्ज लेने वालों के साथ मारपीट के आरोप लगे थे।

उत्पीड़न से होगा बचाव

आरबीआई की "गाइडलाइंस ऑन फेयर प्रैक्टिसेस कोड फोर लेंडर्स" नाम से जारी सर्कुलर को लोन की वसूली के लिए किसी का उत्पीड़न करने से रोकता है। वे न तो असमय ग्राहक को परेशान कर सकते हैं और ना ही ताकत के दम पर लोन वसूल सकते हैं।

"शिकायतों में आई आरबीआई गाइडलाइंस के और बैंकों के वसूली एजेंट द्वारा मिसबिहेव संबंधित केसेज के बारे में केंद्र को इनफॉर्म किया गया था। इसे हम ने गंभीरतापूर्वक लिया है।"

—अनुराग ठाकुर(वित्त राज्य मंत्री)

साभार, आई नेक्स्ट 02-07-2019

सुबे में 250 मेगा वाट सोलर बिजली का होगा उत्पादन

बिहार में 250 मेगा वाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) सोलर बिजली उत्पादन के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया है। देश के किसी भी राज्य की कंपनी बिहार के किसी भी जिले में सोलर बिजली का उत्पादन कर सकती है। ब्रेडा एजेंसियों द्वारा उत्पादित बिजली अगले 25 वर्षों तक खरीदेगी।

राज्य में कुल बिजली खपत का 11.5 फीसदी गैर परंपरागत यानी कोयला से हटकर उत्पादित बिजली खर्च होनी है। अभी 5000 मेगा वाट खपत की तुलना में बिहार में सोलर या पनबिजली खपत 5 फीसदी भी नहीं है। इस कारण सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग के विशेष खाते में हर्जाना के रूप में करोड़ों रुपए जमा करती है। आने वाले वर्षों में भी यह स्थिति ना बनी रहे, इसे देखते हुए ब्रेडा ने सोलर बिजली पर काम शुरू किया है। बीते वर्षों में राज्य में सोलर बिजली उत्पादन की संभावनाओं पर एक सर्वे हुआ था। देश के कुछेक राज्यों में बिहार भी शामिल है। जहां सोलर बिजली उत्पादन की अधिक संभावना है। साल में 9–10 महीनों तक बिहार में सूर्य की रोशनी उपलब्ध रहती है। उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में पहाड़ व खाली जमीन की अधिकता होने के कारण सोलर बिजली की संभावना अधिक पाई गई। सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, जमुई, बांका, शेखपुरा में इसकी संभावना अधिक है। वैसे ब्रेडा ने कहा है कि कंपनियां चाहे तो यह अपनी सुविधा अनुसार राज्य के किसी भी जिले में सोलर बिजली का उत्पादन कर सकती है।

यहां भी हो रहा काम: लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पिरपैती में 660 मेगा वाट की कोयला आधारित 4 इकाइयां लगनी थी, लेकिन अब यहां 250–250 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन करने की योजना पर काम हो रहा है। जमीन अधिग्रहण हो चुका है। जल्द ही इस पर विधिवत काम शुरू होगा।

विस्तृत, हिंदुस्तान 09-07-2019

विधान परिषद में मोदी का ऐलान मसौदा तैयार जल्द होगा फैसला

प्रदेश में पॉलिथीन के बाद थरमोकोल पर भी लगेगा प्रतिबंध

प्लास्टिक कैरी बैग के बाद अब सरकार सूबे में सिंगल यूजर प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है। सरकार की योजना एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जिसमें थर्मोकोल शामिल है, पर रोक लगाने की है। उपमुख्यमंत्री और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुशील मोदी ने 4–7–2019 को विधान परिषद में यह घोषणा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि विभाग ने बैन का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि आम लोगों की राय ली जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्लास्टिक रीसायकल योजना पर भी काम कर रही है। इसके लिए प्लास्टिक के सामान बनाने वाली कंपनियों की मदद ली जाएगी। राज्य सरकार 11 दिसंबर 2018 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर रोक लगा दी थी। साभार, दैनिक भास्कर 05-07-2019

ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम

केंद्र के इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बैंगलुरु की संस्था के साथ हुआ करार

चार सेकंड में पास होगा मकान का नक्शा

मकान का नक्शा पास कराने के लिए अब नगर निकायों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना होगा। महज 4 सेकंड में मकान का नक्शा पास होगा।

राज्य सरकार नक्शा पास करने की पूरी प्रक्रिया हाईटेक करने की योजना पर काम कर रही है। राज्य के सभी 143 नगर निकायों में जल्द ही ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम लागू किया जाएगा। नया सिस्टम केंद्र सरकार की इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विकसित किया जा रहा है।

क्या है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम: यह मकान का नक्शा पास करने का नया सॉफ्टवेयर है, जिसे बेंगलुरु की eGov फाउंडेशन ने नगर विकास विभाग के लिए यह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन के साथ जमीन के सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें खाता, खसरा, बौहदी समेत अन्य जानकारी शामिल है। आवेदन करने के 4 सेकंड में एक्सेप्टेंस रिपोर्ट आ जाएगा। जिसमें नक्शा की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति कारणों के साथ दर्ज होगी। रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों का निपटारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। फिलहाल सॉफ्टवेयर का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जा रहा है।

निकायों की कराई जा रही जीआईएस मैपिंग: इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार सभी शहरों का जीआईएस (ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम) करवा रही है। जीआईएस से प्राप्त आंकड़ा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। आधे से ज्यादा शहर का जीआईएस मैपिंग करवाया जा चुका है। जबकि बाकी शहरों में काम चल रहा है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम राज्य के सभी 12 नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा।

अभी पटना में 24 घंटे में नक्शा पास: अभी पटना नगर निगम में ऑनलाइन नक्शा पास किया जा रहा है। आवेदन के 24 घंटे के भीतर नक्शा को मंजूरी दी जा रही है। वहीं नक्शा अस्वीकृत होने के कारण और आपत्तियों की जानकारी देने का समय 48 घंटे निर्धारित है।

अब बिना नक्शा पास कराए भी शुरू कर सकेंगे छोटे निर्माण: 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 10 मीटर ऊंचे मकान का निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त होगी। छोटे निर्माण का नक्शा पास करने में ट्रस्ट एंड वेरीफाई नियम लागू किया जाएगा। इसके लिए बिल्डिंग बाइलॉज में बदलाव किया जा रहा है। नए नियमों में आवेदन देकर निर्माण शुरू किया जा सकता है। नक्शा पास होने के बाद निर्माण की जांच की जाएगी।

साभार, दैनिक भास्कर 10-07-2019

श्री संप्रदा सिंह के निधन से चैम्बर शोकाकुल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अल्केम ग्रूप के चेयरमैन, देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा चैम्बर के वरीय सदस्य श्री संप्रदा सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि श्री सिंह आईकॉन ऑफ बिहार थे। उन्होंने 27 जुलाई 2019 की सुबह मुम्बई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। श्री सिंह के निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि श्री सिंह अपनी मेहनत एवं काबिलियत के बल पर बिहार के गाँव से निकलकर फोर्ब्स के उद्योगपतियों की सूची में शामिल हुए। श्री सिंह की दवा कम्पनी अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड पिछले 30 साल से अधिक समय से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का सदस्य है। दिनांक 9 सितम्बर 2016 को चैम्बर के 90वाँ वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मनित भी किया गया था।

चैम्बर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिवार को हुई इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

पटना से नई दिल्ली के लिए अब ट्रेन एंबुलेंस भी

बिहार के मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस की तरह अब ट्रेन एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। अभी पटना से नई दिल्ली के बीच यह सुविधा शुरू की गई है। ट्रेन एंबुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस होती है। जो मरीज ट्रेन एंबुलेंस से दिल्ली जाएंगे, उन्हें दिल्ली जंक्शन से अस्पताल तक पहुंचने की सुविधा भी एजेंसी मुहैया कराएगी। पटना से यह सुविध एयर एंबुलेंस सेवा देने वाली लाइफ लाइन एयर एंड ट्रेन एंबुलेंस एजेंसी ने शुरू की है। सीट और सपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए रेलवे की मदद ली जाती है। एजेंसी के निदेशक विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच की 4 सीटों का इस्तेमाल ट्रेन एंबुलेंस के रूप में किया जाएगा। इसमें एक डॉक्टर एक नर्सिंग स्टाफ मरीज और उसके परिजन रहते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में बर्थ नहीं मिल पाने की स्थिति में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में यह सुविधा दी जाती है। पटना से ट्रेन एंबुलेंस की शुरुआत हाल ही में हुई है। अभी तक 100 से अधिक मरीजों को नई दिल्ली के अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है। पटना के अस्पताल से निकालने से लेकर दिल्ली, नई दिल्ली के अस्पताल तक पहुंचाने में औसत 14 घंटे से 15 घंटे लगते हैं। ट्रेन एंबुलेंस से मरीजों को पटना से दिल्ली जाने का किराया 50 से 70 हजार के बीच रखा गया है। मरीजों की हालत और उपकरणों की जरूरत के हिसाब से यह तय होता है। इसके लिए कई कागजात की जरूरत पड़ती है, इसमें मरीज के चल रहे इलाज की केस हिस्ट्री, आईडी प्रुफ आदि शामिल हैं।

एयर एंबुलेंस से पटना से दिल्ली के अस्पताल पहुंचने में 3:30 से 4 घंटे का समय लगता है। इसका किराया 4 लाख 80 हजार से लेकर 5 लाख 20 हजार तक होता है।

ट्रेन रुकी तो रोड एंबुलेंस की सेवा: कोहरे अथवा किसी अन्य घटना के कारण अगर यह ट्रेन नई दिल्ली के आसपास 40 किलोमीटर के क्षेत्र में घंटों रुक जाए तो रोड एंबुलेंस की मदद ली जाती है। यह सब दूरी और मरीज की स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। यदि ट्रेन गाजियाबाद अथवा इसके आसपास के 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर हो तो वहां से भी मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है।

साभार, हिन्दुस्तान 09-07-2019

SPECIAL LAND SURVEY FROM APRIL, 20

After completion of aerial survey of land in almost all districts of Bihar, the department of revenue and land records would begin physical verification of land by setting up camps in all the districts in a phased manner.

In the first phase, from April next year, the department would conduct "special survey" of land in 15 districts, covering 12,969 revenue villages under 169 blocks. The special survey is a procedure followed for physical verification of land. .

Bihar's total area of survey is 93,358.8 square kilometres and the state has 38 districts.

An officer said in the first phase; special survey would be conducted in 15 districts of Nalanda, Sheohar, Sitamarhi, Supaul, Kishanganj, Begusarai, Banka, Munger, Lakhisarai, Sheikhpura, West Champaran, Jehanabad, Jamui, Arwal and Madhepura from April next year.

The second phase and third phase will cover 13 and 10 districts, the official said.

During the "special survey" the department of revenue and land records employees would set up camps in the marked villages. Officials would also entertain objections to ownership filed by the villagers. A time window of 30 days would be given to file objections, after which officials would dispose of the matter in the next one month.

Detail: Hindustan Times 11-06-2019

आईटी रिटर्न अब 31 अगस्त तक भरें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस फैसले से सात करोड़ से अधिक करदाताओं को राहत मिलगी। कर विशेषज्ञों और करदाताओं ने विभाग से अनुरोध किया था कि फॉर्म–16 जारी करने में देरी की वजह से रिटर्न की तिथि बढ़ाई जाए।

साभार, हिन्दुस्तान 24-07-2019

वाहन निबंधन कर एकमुश्त लगेगा

परिवहन विभाग में वाहन निबंधन कर एकमुश्त 15 वर्षों के लिए लिया जाएगा। यह निबंधन प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख से मान्य होगी व उसका नवीकरण किया जा सकेगा। बिहार विधानसभा में 9 जुलाई 2019 को बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन कर यह प्रावधान लगाया गया है। पहले करारोपण अधिनियम में यह अवधि स्पष्ट नहीं थी।

साभार, हिन्दुस्तान 10-07-2019

प्रॉपर्टी टैक्स बचाने वालों पर होगा जुर्माना

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निजी भवनों, खाली जमीन, हॉस्पिटल आदि का सर्वे कर नापी कराई गई है। इसके साथ ही 100 शॉपिंग कंपलेक्स, हॉस्पिटल, दुकान, बहुमंजिली इमारत, दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिन पर निर्धारित स्थान से कम जगह के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कराने का शक है। जो प्रतिष्ठान दोषी पाए जाएंगे उनसे प्रॉपर्टी टैक्स के साथ 50 से 100 फीसदी तक जुर्माना वसूला जाएगा।

साभार, दैनिक भास्कर 10-07-2019

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by: ACG # 9308496365